

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- संतोष करोल

वाद सं. 125/2016

उनवान

1. गोपाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र महादेव
2. मनभरी पुत्री महादेव
3. बाबूलाल पुत्र स्व. नारायण
4. फूलचन्द पुत्र स्व. नारायण
5. सोहन पुत्र स्व. नारायण
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. श्रीमती सुशी देवी पत्नी रतन, पुत्री स्व. नारायण, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
- 6/1 रतन पुत्र रामदेव, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी कानाराम
8. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र कानाराम
9. रामस्वरूप पुत्र काना
10. भूरी पुत्री काना
11. धापा देवी पुत्री काना
12. बंशी पुत्र रामेश्वर
13. राजू पुत्र काना
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
16. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चौमूँ, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 03.06.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 24.06.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूँ को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूँ से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूँ द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूँ द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील पक्षकार को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि हाल खाता संख्या 812 के आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खाता संख्या 814 के आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 598 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 13 का कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 115 के आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610/2701 रकबा 0.04 हैक्टेयर, कुल किता 10 का कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. गोपाल पुत्र भुरामल कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 284 रकबा 0.38 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट., जिसका कुल लगान 10.80 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. सीताराम पुत्र महादेव, मनभरी पुत्री महादेव हि. 41/163 बाबूलाल, हरफूल, सोहनाल पि. नाराण हि. 122/163 कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 260 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.न. 265 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 267 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.न. 573 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 570 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.न. 603 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 583 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.न. 587 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 372/1 रकबा 0.21 हैक्ट. कुल किता 9 का कुल रकबा 1.63 हैक्ट., जिसका कुल लगान 60.69 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. बंशी पुत्र रामेश्वर कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 261 रकबा 0.33 हैक्ट., ख.न. 262 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.न. 263 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.न. 576 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.न. 602 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 599 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.न. 372/2 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 7 का कुल रकबा 1.53 हैक्ट., जिसका कुल लगान 55.88 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. गोपीराम उर्फ गोपाल पि. कानाराम हि. 47/135 रामस्वरूप पि. कानाराम हि. 47/135 राजू पि. काना हि. 19/135 विलारहन राजू पि. काना हि. 22/135 राहीन ज.जि.स.भू. वि.बैंक शाखा चौमूं, मुर्तहीन कौम हरि. ब्राह्मण सा देह खातेदार को ख.न. 264 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 268 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 269 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 574 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.न. 584 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.न. 585 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.न. 598 रकबा 0.24 हैक्ट., ख.न. 610/2701 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 372/3 रकबा 0.18

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

हैक्ट. कुल किता 9 का कुल रकबा 1.35 हैक्ट., जिसका कुल लगान 50.25 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

संतोष कर्णेल
आस्ट्राएँस
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर
जिला जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास संतोष करोल आरएएस

- 1 गोपाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र महादेव
2. मनभरी पुत्री महादेव
3. बाबूलाल पुत्र स्व. नारायण
4. फूलचन्द पुत्र स्व. नारायण
5. सोहन पुत्र स्व. नारायण
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. श्रीमती सुशी देवी पत्नी रतन, पुत्री स्व. नारायण, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
- 6/1 रतन पुत्र रामदेव, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी कानाराम
8. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र कानाराम
9. रामस्वरूप पुत्र काना
10. भूरी पुत्री काना
11. धापा देवी पुत्री काना
12. बंशी पुत्र रामेश्वर
13. राजू पुत्र काना
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चौमूं, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा जयपुर जिला सहकारी भूमि विकाश बैंक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 125/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू संतोष करोल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. गोपाल पुत्र भूरामल कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 284 रकबा 0.38 हैक्ट., कुल किता 1 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट., जिसका कुल लगान 10.80 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. सीताराम पुत्र महादेव, मनभरी पुत्री महादेव हि. 41/163 बाबूलाल, हरफूल, सोहनाल पि. नाराण हि. 122/163 कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 260 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.न. 265 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 267 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.न. 573 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 570 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.न. 603 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 583 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.न. 587 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 372/1 रकबा 0.21 हैक्ट. कुल

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

- किता 9 का कुल रकबा 1.63 हैक्ट., जिसका कुल लगान 60.69 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. बंशी पुत्र रामेश्वर कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 261 रकबा 0.33 हैक्ट., ख.न. 262 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.न. 263 रकबा 0.07 हैक्ट., ख.न. 576 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.न. 602 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 599 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.न. 372/2 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 7 का कुल रकबा 1.53 हैक्ट., जिसका कुल लगान 55.88 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. गोपीराम उर्फ गोपाल पि. कानाराम हि. 47/135 रामस्वरूप पि. कानाराम हि. 47/135 राजू पि. काना हि. 19/135 विलारहन राजू पि. काना हि. 22/135 राहीन ज.जि.स.भू. वि.बैंक शाखा चौमूं, मुर्तहीन कौम हरि. ब्राह्मण सा देह खातेदार को ख.न. 264 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 268 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 269 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.न. 574 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.न. 584 रकबा 0.14 हैक्ट., ख.न. 585 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.न. 598 रकबा 0.24 हैक्ट., ख.न. 610/2701 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 372/3 रकबा 0.18 हैक्ट. कुल किता 9 का कुल रकबा 1.35 हैक्ट., जिसका कुल लगान 50.25 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बुधवार को हे.स.वा.क्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.06.2019 को जारी किया गया ।



दस्तखत
ओहद... अधिकारी
जिला जयपुर

मुद्राई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
* स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	0	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर